FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

शंकरलाल अध्यक्ष गौपाल गो सेवा संस्थान खाजूवाला बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :—वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट

मु.नं. एवं सन 150/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
03-10-2023	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। वादपत्र का संक्षित सार इसप्रकार से है कि प्रार्थी शंकरलाल पुत्र हनुमानराम जाति ब्राह्मण निवासी खाजूवाला अध्यक्ष गौपाल गो सेवा संस्थान खाजूवाला ने प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन किया है कि गौपाल गौ सेवा संस्थान खाजूवाला ने चक 8 केजेडी बी के मु0नं0 83/7 के किला नं0 1, 2, 8 ता 12, 16, 19, 20, 24, 25 तादादी 2.2003 हैक्टर जरिये बैयनामा दिनांक 19.08.12 को खरीद गौपाल गौ सेवा संस्थान के नाम मार्फत अध्यक्ष शंकरलाल खरीद की थी लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में शंकरलाल पुत्र हनुमानराम दर्ज हो गई जबकि मुताबिक बैयनामा दर्ज होनी थी। जिसे दुरस्त कर मुताबिक बैयनामा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना आवश्यक है ताकि भविष्य में संस्थान को कोई दिक्कत नहीं आवे। वादपत्र सर्वप्रथम दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/अध्यक्ष शंकरलाल पुत्र हनुमानराम जाति ब्राह्मण निवासी खाजूवाला ने उपरोक्तानुसार दुरस्ती करने के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत किया कि उक्तानुसार दुरस्ती की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। रिकॉर्ड दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है। वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज आधारकार्ड, संबंधित बैयनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार वादगत रकबा शंकरलाल पुत्र हनुमानराम जाति ब्राह्मण निवासी खाजूवाला गौपाल गौ सेवा संस्थान, खाजूवाला वर्तमान अध्यक्ष के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। परन्तु उक्त भूमि के विक्रयपत्र क्र0 2012082218 दिनांक 29.08.2012 में उक्त भूमि संस्था श्री गौपाल गौ सेवा संस्थान, खाजूवाला तहः खाजूवाला वर्तमान अध्यक्ष	

	शंकरलाल पुत्र हनुमानराम जाति ब्राह्मण को विक्रयपत्र नाम दर्ज है। वर्तमान में उक्त भूमि पर उक्त गौशाला का संचालन हो रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन मनन किया गया। उक्त अवलोकनोपरान्त न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत रकबा गोपाल गौ सेवा संस्थान, खाजूवाला के नाम से क्रय किया गया है और उक्त रकबा क्रय मार्फत संस्थान के अध्यक्ष शंकरलाल हुआ तो सहवन से उक्त क्रय की गई भूमि का नामान्तरण गोपाल गौ सेवा संस्थान, खाजूवाला की जगह शंकरलाल पुत्र हनुमानराम जाति ब्राह्मण निवासी खाजूवाला गौपाल गौ सेवा संस्थान, खाजूवाला वर्तमान अध्यक्ष दर्ज रिकॉर्ड हो गया प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार रिपोर्ट व प्रार्थी के स्वंय के शपथपत्र के आधार पर उक्त दुरस्ती की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः वादपत्र न्यायहित में धारा 88 आरटीएक्ट, 136 एलआरएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे स्वीकार किया जाता है एवं वादगत भूमि चक 8 केजेडी बी के मु0नं0 83/7 के किला नं0 1, 2, 8 ता 12, 16, 19, 20, 24, 25 तादादी 2.2003 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड में शंकरलाल पुत्र हनुमानराम जाति ब्राह्मण निवासी खाजूवाला गोपाल गौ सेवा संस्थान, खाजूवाला वर्तमान अध्यक्ष की जगह गोपाल गौ सेवा संस्थान, खाजूवाला नियमानुसार दर्ज के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफतर हो।	